प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली–द्वितीय।** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2023**
प्र.इ.रि.सं. 219/2023 दिनांक 11/8/2023

2. (1) 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)।
(2) अधिनियम – धाराये .....–.....
(3) अधिनियम .....–..... धारायें .....–.....
(4) अन्य अधिनियम व धाराये.....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 211 समय 4:20 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन – मंगलवार, दिनांक–
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक –08.05.2023 समय.– 01:15 पीएम

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख दक्षिण–पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 55 कि.मी.
(ब) पता :– ग्राम खिंवाड़ा।
.....बीट सख्या.....–..... जरायमदेही सं...–.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....–.....जिला.....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री किशनदास।
(ब) पिता/पति का नाम :– तेजाराम।
(स) जन्म तिथि..... ..... साल
(द) राष्टीयता,:– भारतीय
(द) पासपोर्ट सख्या.....–..... जारी होने की तिथि .....–.....
जारी होने की जगह .....–.....
(र) व्यवसाय :– प्राईवेट व्यवसाय।
(ल) पता.:– ग्राम घेनड़ी, तहसील रानी जिला पाली।

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1. श्री बनवारी लाल मीना पुत्र श्री ठण्डीराम मीना जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सिलपुरा पोस्ट गुडला तहसील करौली जिला करौली तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल घेनड़ी तहसील रानी जिला पाली, हाल पटवारी (भू.अ.) पिलोवनी तहसील रानी जिला पाली।

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

सेवामें

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पाली–।।

विषय– रिश्वत लेते हुए पकड़वाने बाबत।

मान्यवरली,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने मेरे गांव में ही मेरे बडे पिताजी श्री रणछोड दास जी से उनके खातेउदारी जमीन 1 1/2 जमीन खरीदी थी जिसका मैने पॉवर मेरे नाम से लिया था तथा मैने बेचान पॉवर को उस समय रजीस्र्ट करवाया था उसके बाद मैने यह जमीन दुसरी पार्टी को बेच दी तथा उस पार्टी के नाम रजिस्ट्री करवा दी। मैने इस जमीन के मीटीशन के लिए प्रार्थना पत्र मेरे हल्का पटवारी रमेश जी को दिया था, दो तीन दिन बाद रमेश पटवारीजी का मेरे पटवार हलका से ट्रान्सफर हो गया तथा पटवार हल्का घेनडी पर दुसरे पटवारीजी श्री बनवारीजी आ गये। इसी समय मेरे बडे पिताजी की मृत्यु हो गई तो मेरे द्वारा मेरे बडे पिताजी कि जमीन जो मैने उनके पॉवर के आधार पर दुसरी पार्टी को बेची थी, उसका म्यूटशन भरने हेतु मरे द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं कर मेरे बडे पिताजी के वारीसान उनकी पत्नि गंगा व उनकी पुत्री दुर्गा ने भी म्यूटेशन को खोलने हेतु पटवारी श्री बनवारीजी को आवेदन कर दिया, अब पटवारीजी ने वारीसान द्वारा लगाये गये म्यूटेशन के आवेदन पर म्यूटेशन की कार्यवाही जो प्रकियाधीन है उसको खारीज कर रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन खरीदकर्ता के नाम भरने की ऐवज मे मेरे से 10,000 रूपये की रिश्वत मांग रहे है, मै मेरे जायज काम के बदले पटवारी श्री बनवारी जी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हुं, मेरी पटवारीजी से कोई आपसी रंजिश नहीं है तथा ना ही कोई रूपयो का लेन देन भी बकाया है। रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावे।

भवदीय
हस्ताक्षर
किशनदास पुत्र तेजारामजी वैष्णव
निवासी– घेनड़ी तह. रानी जिला
पाली
मो.नं. : 9119214892

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 08.05.2023 को परिवादी श्री किशनदास पुत्र श्री तेजाराम जाति वैष्णव निवासी ग्राम घेनड़ी तहसील रानी जिला पाली नें अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो पाली–द्वितीय को एक हस्तलिखित रिपोर्ट उपरोक्त आशय की पेश की। जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् रूपसिंह निरीक्षक पुलिस को निर्देशित किया। मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया। तत्पश्चात् परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन कर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी नें बताया कि मैंने मेरे बड़े पिताजी श्री रणछोडदास पुत्र श्री बंसीदास निवासी घेनड़ी से गांव घेनड़ी के खसरा नं. 317, 318, 319 व 320 का अधिकार पत्र दिनांक 23.11.2022 को प्राप्त कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराया। इस अधिकार पत्र के आधार पर श्री रणछोड़दास के जीवनकाल में ही मैंने उक्त खसरान में उनके हिस्से की 1/6 हिस्सा की भूमि व मुझे इन्ही

खसरान की अन्य काश्तकारो से प्राप्त अधिकार पत्र के आधार पर मैंने दिनांक 28.12.2022 को 1.00 लाख रूपये में श्री राजूसिंह पुत्र श्री कुंदन सिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा जेतसिंह तहसील रानी जिला पाली को बेचान कर इसकी रजिस्ट्री दिनांक 28.12.2022 को उप पंजीयक खिंवाड़ा जिला पाली में कराई। बेचान के समय श्री राजूसिंह नें मेरे से शर्त तय की कि इस भूमि का नामान्तरकरण (म्यूटेशन) तुम अपने खर्चे पर करवाकर दोगे तथा श्री राजूसिंह नें उक्त भूमि की रजिस्ट्री की फोटोप्रति म्यूटेशन दर्ज कराने हेतु मुझे दे दी तथा मैंने म्यूटेशन दर्ज करने हेतु इस रजिस्ट्री की फोटोप्रति घेनड़ी के तत्कालीन पटवारी श्री रमेश जी को दे दी, परन्तु उनका स्थानान्तरण हो गया तथा उनके स्थान पर श्री बनवारी लाल पटवारी जी आ गये। इस पर मैं म्यूटेशन दर्ज करने के लिये श्री बनवारीलाल पटवारी से मिला तो उन्होने कहा कि तुम्हारे द्वारा बेचान की गई खसरा नं. 317, 318, 319 व 320 की रजिस्ट्री मुझे श्री रमेश पटवारी नें दे दी है। मैं कुछ दिन में म्यूटेशन भर दूंगा। इसी दौरान मेरे बड़े पिता श्री रणछोड़ दास पुत्र श्री बंशीदास का दिनांक 20.03.2023 को निधन हो गया। इनके मृत्यु के बाद श्री बनवारीलाल पटवारी नें मुझे बताया कि श्री रणछोड़ दास की पत्नि व पुत्री नें भी खसरा नं. 317, 318, 319 व 320 का म्यूटेशन दर्ज करने के लिये आवेदन किया, तो मैंने पटवारी बनवारीलाल को कहा इस जमीन का अधिकार पत्र तो श्री रणछोड़ दास नें अपने जीवनकाल में ही मुझे दे दिया था। मैंने खसरा नं. 317, 318, 319 व 320 की जमाबंदी ऑनलाईन निकलवाकर देखा तो श्री रणछोड़ दास के स्थान पर पत्नि श्रीमति गंगा व पुत्री दुर्गा के नाम नामान्तरकरण प्रकियाधीन होना बताया। मैंने पटवारी बनवारीलाल को कहा रणछोड़दास के द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के आधार पर मैंने जमीन श्री राजूसिंह को बेची है तथा उन्ही के नाम म्यूटेशन दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। श्री बनवारीलाल पटवारी से मैं म्यूटेशन दर्ज करने के लिये कई बार मिला तो वो टालमटोल करता रहा तथा मेरे से रिश्वत के रूपये मांगे। पटवारी ने मेरा म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए महेश से मिलने के लिये कहा। महेश पुत्र श्री रमेश प्रजापत जो कि मेरे गांव घेनडी का ही है जो हमारे हल्का पटवारी व आर.आई. साहब के साथ काम करता है। मैं मेरे द्वारा बेची गई जमीन का म्यूटेशन श्री राजूसिंह के नाम दर्ज कराने के लिये श्री महेश से हमारे गांव घेनड़ी में कई बार मिला व उसे कहा तो महेश नें मुझे कहा कि पटवारी श्री बनवारीलाल को तो तेरे इस काम के लिये रूपये देने पड़ेंगे, क्योंकि रणछोड़दास की पत्नि व पुत्री नें भी जमीन अपने नाम दर्ज करने के लिये आवेदन किया है। पटवारी श्री बनवारीलाल द्वारा मेरा म्यूटेशन नहीं खोलने व मेरे से रिश्वत मांगने की शिकायत मैंने सरकार के टोलफ्री नम्बर 181 पर दर्ज करवायी थी। यह शिकायत श्री बनवारीलाल पटवारी नें मुझे बताई तथा कहा कि तुम्हे जो करना है वो कर लो, मैं मेरा काम करता हूं तुम तुम्हारा काम करो। फिर 5–7 दिन बाद दिनांक 07.05.2023 को शाम के वक्त पटवारी जी मेरी दूकान पर आये तथा मुझे कहा कि 10,000 रूपये दे दो, मैं तुम्हारे द्वारा बेची गई जमीन का म्यूटेशन राजूसिंह के नाम दर्ज कर तुम्हारा काम कर दूंगा तथा वारिसान के हैसीयत से दुर्गा व गंगा नें म्यूटेशन लगाया है जो प्रकियाधीन है, उसे खारीज कर दूंगा। परिवादी की रिपोर्ट व उसके बताये उक्त तथ्यो से मामला प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया।

परिवादी नें बताया कि पटवारी जी शाम को मेरे से दूकान पर मिल सकते है या मैं उनके घर जाकर वार्ता कर सकता हूं। जिस पर मांग सत्यापन सम्बंधी वार्ता परिवादी के बतायेनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री किशनदास एवं श्री दशरथ सिंह कानि. 428 का आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो के मोबाईल नम्बरो का परस्पर आदान–प्रदान करवाया गया। श्री दशरथ सिंह कानि. व परिवादी श्री किशनदास को डिजीटल वॉयस रिकार्ड के संचालन की विधि समझाई गई। तत्पश्चात्

परिवादी श्री किशनदास को उचित समझाईश कर वक्त करीब 03:00 पी.एम. पर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् श्री दशरथ सिंह कानि. को ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की प्रकिया समझाईश कर परिवादी श्री किशनदास से संपर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु गांव घेनड़ी की तरफ रवाना किया गया।

उसी रोज श्री दशरथ सिंह कानि. वास्ते गोपनीय सत्यापन गया हुआ बाद गोपनीय सत्यापन के ब्यूरो कार्यालय पाली पर उपस्थित आया एवं स्वीचऑफ शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर गांव घेनड़ी पहुंचा एवं परिवादी श्री किशनदास पहले से तय स्थान गांव के बाहर चौराहा पर उपस्थित आया तथा मुझे मिला। जिस पर परिवादी नें पटवारी की लॉकेशन हेतु स्वयं के मोबाईल से पटवारी को कॉल किया तो उन्होने खिंवाड़ा आने का कहा। जिस पर पटवारी के बतायेनुसार मैं व परिवादी दोनो परिवादी की मोटरसाईकिल से खिंवाड़ा गये। जहां पर परिवादी नें पटवारी श्री बनवारी लाल को पुनः कॉल किया तो पटवारी नें परिवादी को तहसील कार्यालय आने हेतु कहा। जिस पर मन् कानि. व परिवादी तहसील कार्यालय खिंवाड़ा के नजदीक पहुंचे तथा मैंनें ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत के साथ तहसील कार्यालय की तरफ रवाना किया तथा मैं वहीं आस–पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी के आने का इन्तजार करने लगा। करीब आधा घण्टा पश्चात् परिवादी मेरे पास आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी नें बताया कि मैं तहसील में गया जहां पर बनवारी जी पटवारी मुझे मिले तथा तहसील के उपर बने कमरे में ले गये जहां पर मेरे द्वारा बेची गई जमीन का म्यूटेशन श्री राजूसिंह के नाम दर्ज करने के लिये बातचीत के दौरान श्री बनवारीलाल नें कहा कि तुम रजिस्ट्री केन्सिल करवाओगे तो भी खर्चा आयेगा, ऐसे थोड़े ही केन्सिल होती है। कल शाम तक यदि मुझे पूरा पेमेन्ट दे देते हो तो मैं आपका काम कर दूंगा। उसके बाद मुझे कभी मत बोलना तथा ना मैं आपको फोन करूंगा। तब मैंने उनको 4,000 रूपये देने चाहे तो उन्होने कल शाम तक पूरा पेमेन्ट करने का कहा, आध–अधुरा लेने से मना कर दिया, तब मैंने कहा कि मैं रूपयो की व्यवस्था करता हूं, तब उन्होने कहा कि तुम्हारे पास रूपयो की व्यवस्था हो जाये तब आप महेश को फोन कर देंना, वो बुलाये तब उसके पास जाकर उसे दे देना। पूरा पेमेन्ट देना। तत्पश्चात् रात्री का समय हो जाने से परिवादी को कल दिनांक 09.05.2023 को पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर सुबह ब्यूरो कार्यालय पाली उपस्थित आने की समझाईश कर मैं मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के वहां से रवाना होकर उपस्थित आया हूं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें वॉयस रिकार्डर ऑन कर वार्ता सुनी तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट आईन्दा बनायी जाने का निर्णय लिया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द कर मन् निरीक्षक पुलिस नें स्वयं के कब्जे में सुरक्षित रखा तथा हालात श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये।

दिनांक 09.05.2023 को परिवादी श्री किशनदास ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया एवं मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि कल शाम को आपके स्टाफ श्री दशरथ सिंह मेरे गांव घेनड़ी आये। मैं पहले से ही उनको बताये स्थान गांव घेनड़ी में मिला। उसके बाद मैंने पटवारी जी की लॉकेशन ज्ञात करने के लिये उनके मोबाईल पर कॉल किया तो उन्होने मुझे खिंवाड़ा आने का कहा। जिस पर पटवारी के बतायेनुसार मैं व दशरथ सिंह कानि. मेरी मोटरसाईकिल से खिंवाड़ा गये। जहां पर मैनें पटवारी श्री बनवारी लाल को पुनः कॉल किया तो पटवारी जी नें मुझे तहसील कार्यालय आने हेतु कहा। जिस पर हम दोनो तहसील कार्यालय के नजदीक पहुंचे, जहां श्री दशरथ सिंह कानि. नें ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर मुझे दिया तथा श्री दशरथ सिंह तहसील के बाहर ही खड़े रहे। मैं तहसील

में गया जहां पर बनवारी जी पटवारी मुझे मिले तथा तहसील के उपर बने कमरे में ले गये जहां पर मेरे द्वारा बेची गई जमीन का म्यूटेशन श्री राजूसिंह के नाम दर्ज करने के लिये बातचीत के दौरान श्री बनवारीलाल नें कहा कि तुम रजिस्ट्री केन्सिल करवाओगे तो भी खर्चा आयेगा, ऐसे थोड़े ही केन्सिल होती है। कल शाम तक यदि मुझे पूरा पेमेन्ट दे देते हो तो मैं आपका काम कर दूंगा। उसके बाद मुझे कभी मत बोलना तथा ना मैं आपको फोन करूंगा। तब मैंने उनको 4,000 रूपये देने चाहे तो उन्होने कल शाम तक पूरा पेमेन्ट करने का कहा, आध–अधुरा लेने से मना कर दिया, तब मैंने कहा कि मैं रूपयो की व्यवस्था करता हूं, तब उन्होने कहा कि तुम्हारे पास रूपयो की व्यवस्था हो जाये तब आप महेश को फोन कर देंना, वो बुलाये तब उसके पास जाकर उसे दे देना। पूरा पेमेन्ट देना। उसके बाद मैं तहसील कार्यालय से बाहर आ गया एवं श्री दशरथ सिंह कानि. से मिलकर वॉयस रिकार्डर उनको सुपुर्द किया तथा उनको मैंने मेरे एवं पटवारी के मध्य हुई बात बताई। तत्पश्चात् मैं मेरे घर चला गया तथा दशरथ सिंह पाली के लिये रवाना हो गये। परिवादी नें बताया कि मैं श्री बनवारीलाल पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली 10,000 रूपये रिश्वत राशि साथ लेकर आया हूं। प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आयुक्त नगर परिषद पाली के नाम की तहरीर जारी कर श्रीमति कौशल्या महिला कानि. को नगर परिषद पाली के लिये रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात् श्रीमति कौशल्या महिला कानि. अपने साथ दो स्वतंत्र गवाहान के साथ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आयी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें दोनो स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना परिचय क्रमशः श्री शिवराज पुत्र श्री ईन्द्रमल, जाति धोबी, उम्र 42 साल, पेशा नौकरी, निवासी मकान नम्बर 473, सेठी कॉलोनी, पुलिस थाना आदर्श नगर अजमंर हाल कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद पाली एवं श्री धनश्याम सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल जाति घांची, उम्र 42 साल, पेशा नौकरी, निवासी मकान नम्बर 35 सुनारों का बास मौती चौक, पुलिस थाना कोतवाली पाली, हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद पाली के रूप में दिया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित परिवादी श्री किशनदास एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढाई गई तथा दिनांक 08.05.20023 को ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी एवं पटवारी श्री बनवारीलाल के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ता भी दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई। तत्पश्चात् दोनो गवाहान नें भी परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर संतुष्ट होने पर ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति दी तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान नें परिवादी की रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में ब्यूरो स्टाफ की आवश्यकता होने से श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ए.सी.बी. चौकी पाली–प्रथम को निवेदन किया गया था, जिसके क्रम में ए.सी.बी. चौकी पाली से श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री नरेन्द्र कानि जरिये सरकारी वाहन टवेरा एवं चालक श्री अभय कुमार हैड कानि. के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। परिवादी श्री किशनदास नें दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पूर्व निर्देशानुसार हमराह लेकर आया है, जो मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाऊडर की क्रिया–प्रतिक्रिया श्रीमति कौशल्या महिला कानि. से प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर तैयार की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी को रिश्वत राशि लेन–देन होने के पश्चात गोपनीय ईशारा दो–तीन बार सिर पर हाथ फेरकर एवं मन् निरीक्षक के मोबाईल नं. 95712–72412 पर

कॉल/मिस कॉल करने की समझाईश की गयी। उक्त गोपनीय ईशारे के बारे में ट्रेप कार्यवाही के समस्त सदस्यों को भी समझाया गया। परिवादी नें बताया कि श्री महेश दिन में पटवारी श्री बनवारीलाल के साथ गांव से बाहर रहता है तथा वह अमुमन शाम के समय हमारे गांव घेनड़ी आता है। श्री महेश ही पटवारी के लिये रिश्वत राशि लेगा, इसलिये परिवादी के कहेनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु शाम के समय घेनड़ी की तरफ चलने का निर्णय लिया गया। परिवादी एवं पटवारी श्री बनवारीलाल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से पाया गया कि आरोपी पटवारी नें रिश्वत राशि मध्यस्थ श्री महेश को देने का कहा है तथा रिश्वत राशि का लेन–देन महेश से होने से आरोपी पटवारी श्री बनवारीलाल की दस्तयाबी हेतु अन्य टीम गठन का निर्णय लिया जाकर श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता कर रिश्वत राशि लेन–देन के पश्चात् हल्का पटवारी श्री बनवारीलाल की दस्तयाबी हेतु श्रीमान् पारस सोनी अति. पुलिस अधीक्षक, श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस, श्री नरेन्द्र कानि. की टीम गठित कर तथा ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् रूपसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक, लक्ष्मणदान हैड कानि, श्री दशरथ सिंह कानि. व दोनो स्वतंत्र गवाहान की एक टीम गठित की गई।

उसी रोज वक्त 05:10 पी.एम. पर श्रीमान् पारस सोनी अति. पुलिस अधीक्षक, श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस, श्री नरेन्द्र कानि. की टीम जरिये प्राईवेट वाहन से व मन् रूपसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक, लक्ष्मणदान हैड कानि, श्री दशरथ सिंह कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम व परिवादी श्री किशनदास के मय ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित आवश्यक उपकरण/सामग्री, डीजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेपबॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर, कम्प्युटर आदि आवश्यक उपकरणो के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन तथा स्वतंत्र गवाह श्री शिवराज व टवेरा वाहन मय चालक श्री अभय कुमार के कार्यालय से घेनडी व खिंवाड़ा की तरफ रवाना होकर वक्त 06:35 पी.एम. पर गांव घेनड़ी के आस पास पहुंचे, जहां परिवादी नें अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त कर बताया कि श्री महेश खिंवाड़ा के आस–पास है तथा पटवारी श्री बनवारीलाल हमारे गांव घेनड़ी में पटवार भवन में मौजूद है। इस पर श्री पारस सोनी अति. पुलिस अधीक्षक के साथ जाब्ता को घेनड़ी के आस पास मौजूद रहने हेतु निवेदन किया व मन् निरीक्षक मय बोलेरो वाहन में मौजूद जाब्ता व टवेरा वाहन में मौजूद जाब्ता घेनड़ी से रवाना होकर गांव सिवास के पास पहुंचे, जहां टवेरा वाहन व उसमें मौजूद जाब्ता को गोपनियता बरतते हुए खिंवाड़ा के पास खडे रहने हेतु निर्देश दिये तथा मन् निरीक्षक पुलिस व बोलेरो वाहन में मौजूद जाब्ता नें सिवास के पास ही खड़े रहने का निर्णय लेकर श्री महेश से उसकी उपस्थिति बाबत् जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् वक्त 06:39 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनदास से उसके मोबाईल फोन नं. 9119214892 का स्पीकर ऑन करवाकर श्री महेश के मोबाईल नं. 9636171693 पर कॉल करवाया गया तो श्री महेश नें बताया कि तुमने मेरा नाम लेकर पटवारी बनवारी लाल को ट्रान्सफर होने का बताया, इसलिये वह मेरे उपर नाराज है। मुझे कोई रूपये पैसे नहीं लेने है, तुम्हारा काम मैं कल सिवास केन्म में फ्री में करवा दूंगा। इस तरह श्री महेश नें मोबाईल फोन पर हुई वार्ता के दौरान रूपये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। परिवादी व श्री महेश के मध्य हुई उपरोक्त मोबाईल वार्ता को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। उक्त वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट आईन्दा तैयार की जायेगी। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा समस्त हालात जरिये टेलिफोन श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये। इस प्रकार श्री महेश नें रिश्वत राशि लेने से साफ इनकार कर दिया। परिवादी श्री किशनदास नें बताया कि मैं एक बार हल्का पटवारी श्री बनवारीलाल से बात करूंगा तो संभवतया वह रिश्वत राशि लेने के लिये तैयार हो जाये। इस पर परिवादी

से हुई वार्ता के समस्त हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिये टेलिफोन निवेदन कर पटवारी श्री बनवारीलाल से परिवदी की वार्ता कराने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् वक्त 06:47 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनदास से उसके मोबाईल फोन नं. 9119214892 का स्पीकर ऑन करवाकर पटवारी श्री बनवारीलाल के मोबाईल नं. 9024052624 पर कॉल करवाया गया तो पटवारी श्री बनवारीलाल नें कहा कि मैं घेनड़ी पटवार भवन में मौजूद हूं। चूंकि पटवारी श्री बनवारीलाल से हुई वार्ता के आधार पर परिवादी श्री किशनदास को रिश्वत राशि के लेन–देन हेतु पटवारी श्री बनवारीलाल के पास पटवार भवन घेनड़ी भेजने का निर्णय लिया गया। परिवादी को पटवार भवन घेनड़ी प्राईवेट मोटरसाईकिल से भेजने का निर्णय लिया गया। जिस पर परिवादी द्वारा अपने मोबाईल फोन से वार्ता कर परिचित श्री सुमित से वार्ता कर मेाटरसाईकिल लेकर सिवास घेनड़ी रोड़ पर मिलना बताया। जिस पर घेनड़ी की तरफ चलने का निर्णय लिया जाकर रवाना होकर घेनड़ी से करीब 1 कि.मी. पहले पहुंचा, जहां श्री सुमित एक मोटरसाईकिल लेकर आम रोड़ पर मिला। वक्त 07:13 पी.एम. पर श्री दशरथ सिंह कानि. को ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर देकर परिवादी श्री किशनदास के साथ आवश्यक हिदायत देकर उसकी मेाटरसाईकिल से रिश्वत राशि लेन–देन हेतु पटवारी श्री बनवारी लाल के पास पटवार भवन घेनड़ी की तरफ रवाना किया तथा मन् निरीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान के परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर घेनड़ी गांव के पास ही कुछ दूरी पर खड़े रहकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में व्यवस्त हुऐ। उपरोक्त समस्त हालात अति. पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। समय 07:17 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनदास नें अपने मोबाईल फोन से मन् निरीक्षक को कॉल कर बताया कि मैं पटवार भवन घेनड़ी पहुंचा, जहां पर श्री बनवारीलाल पटवारी मुझे मिला, उसने मुझे बताया कि मैं तुमसे मिलने कुछ ही देर में तुम्हारी दूकान पर आउंगा, दूकान पर मिलो। इस पर मैं मेरी दूकान पर आ गया हूं। समय 07:20 पी.एम. पर श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. नें बताया कि उसे श्री दशरथ सिह नें अपने मोबाईल फोन से कॉल कर बताया कि मैं व परिवादी श्री किशनदास पटवार भवन के पास पहुंचे, जहां उसके कहेनुसार कुछ दूरी पर ही किशनदास को डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर पटवार भवन घेनड़ी की तरफ रवाना किया तथा मन् कानि. अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कुछ दूरी पर ही खड़ा हूं। वक्त 07:26 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री किशनदास को जरिये मेाबाईल वार्ता कर हिदायत दी कि संभवतः पटवारी कभी भी तुम्हारे पास रिश्वत राशि लेने के लिये आ सकता है, इसलिये तुम्हे सुपुर्द किया गया डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन करके ही रखना। समय 08:20 पी.एम. पर श्री दशरथ सिंह कानि. मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीचऑफ शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि अंधेरे में मैंने पटवार भवन घेनड़ी की तरफ जाकर देखा तो पटवार भवन का ताला बन्द था। पटवारी वहां से कहीं जा चुका था। इस पर मैं परिवादी श्री किशनदास की दूकान पर पहुंचा जहां श्री किशनदास नें बताया कि मुझे भी जानकारी मिली कि पटवारी पटवार भवन पर ताला लगाकर कहीं जा चुका है। संभवतः अब आज वह मेरे पास रिश्वत राशि लेने नहीं आयेगा। जिस पर मैंने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त किया एवं स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा एवं आपके पास उपस्थित आया हूं। समस्त हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये। समय : 08:25 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनदास मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया तथा बताया कि आज संभवतया पटवारी एवं श्री महेश को मेरे दिन भर गांव घेनड़ी में नहीं होने के कारण या अन्य किन्ही कारणो से कोई शक हो जाने या एसीबी के यहां आने की सूचना हो गयी, इसलिये उनके द्वारा आज मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गई है। उपरोक्त समस्त हालात मौका पर उपस्थित आये श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी को हिदायत दी कि आईन्दा कभी भी आरोपी पटवारी या उसके दलाल श्री महेश के द्वारा रिश्वत राशि के बारे में संपर्क करने पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस

को सूचित करावे। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को हिदायत दी कि आज की कार्यवाही के बारे जो बात आप मुझे बता रहे है उस बारे में आप भी गोपनीय रूप से मालूमात करना कि पटवारी व दलाल महेश ने किस कारण रिश्वत राशि नही ली। इस संबंध में जो भी जानकारी आप को मिले उसके बारे में मुझे अवगत करावे।

समय 08:45 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनदास से उसके पेन्ट के आगे की बांयी जेब में रखी रिश्वत राशि 10,000 रूपये के नोट गवाह श्री घनश्याम सोलंकी से निकलवायी जाकर कागज के एक लिफाफा में डलवाकर लिफाफे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री घनश्याम के हाथो को साफ पानी एवं साबुन से अच्छी तरह धुलवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा टवेरा वाहन चालक श्री अभय कुमार कानि. ड्रॉ. को पाली पहुंचने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान तथा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहन के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचे। तत्पश्चात् रिश्वत राशि रखा ट्रेप बॉक्स मालखाना में सुरक्षित रखवाया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 10.05.2023 को समय 10:22 ए.एम. पर परिवादी श्री किशनदास नें मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन बताया कि आज सुबह श्री महेश मुझे पिलोवनी गांव में मिला तथा उसनने मुझसे कहा कि आज पिलोवनी व सिवास गांव में राहत केम्प है, वहां मैं पटवारी श्री बनवारीलाल से तुम्हारे म्यूटेशन भराने का काम करा दूंगा, मेरी पटवारी श्री बनवारीलाल से बात हो गई है। उसनें कहा किशनदास से म्यूटेशन भरने के लिये 10,000 रूपये ले लेना। श्री महेश नें कहा कि तुम मुझे पटवारी जी के कहेनुसार 10,000 रूपये दे दो। इस पर मैंने कहा कि मैं अभी तो आईसक्रीम बेचने के लिये जा रहा हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने कहा शाम तक सायद तुम्हारा म्यूटेशन भी दर्ज हो जायेगा तथा तुम आईसक्रीम बेचकर रूपये लेकर आ जाना। आज संभवतया श्री बनवारीलाल पटवारी के कहेहनुसार श्री महेश मुझसे रूपये प्राप्त कर लेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी से कहा कि हम ब्यूरो जाब्ता अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिये आपके गांव घेनड़ी के पास आकर आपसे संपर्क करेंगे। जिस पर परिवादी नें कहा कि आज मैं गांव से कुछ दूरी पर रूंगड़ी गांव में मिलूंगा। उक्त हालात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये तथा परिवादी को गोपनियता बरतने की हिदायत की। वक्त 11:30 ए.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराज व घनश्याम सोलंकी ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आये। समय 01:55 पी.एम. पर मन् रूपसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. श्री दशरथ सिंह कानि, स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम मय रिश्वत राशि रखा ट्रेपबॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं आवश्यक उपकरण तथा प्रकरण की पत्रावली आदि के जरिये प्राईवेट वाहन तथा श्रीमान् पारस सेानी अति. पुलिस अधीक्षक, श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस, श्री पूनाराम कानि व गवाह श्री शिवराज के जरिये प्राईवेट वाहन तथा श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक मय उपकरणो आदि के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन के रवाना होकर वक्त 03:10 पी.एम. पर रूंगड़ी गांव के पास पहुंचे, जहां परिवादी श्री किशनदास अपनी मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिला। परिवादी नें बताया कि मैं पहले श्री महेश से मोबाईल फोन पर वार्ता कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर मिलूंगा। इसी दौरान श्रीमान् पारस सेानी अति. पुलिस अधीक्षक, श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस, श्री पूनाराम कानि व गवाह श्री शिवराज के जरिये प्राईवेट वाहन के ग्राम पिलोवनी के आस–पास खड़े रहने व श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक को मय बोलेरो वाहन के सोमेसर के आस–पास खड़े रहने हेतु बताया गया।

वक्त 03:14 पी.एम. पर मन् रूपसिंह निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री किशनदास के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर उसके मोबाईल फोन नं. 9119214892 से श्री महेश के मोबाईल नं. 9636171693 पर कॉल करवाया गया तो श्री महेश नें बताया कि मैं सिवास में आयोजित राहत केम्प में हूं तथा उसने शाम के समय मिलने का कहा। हालात श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल निवेदन किये गये। परिवादी से विचार–विमर्श किया तो उसने बताया कि मैं अपनी मोटरसाईकिल पर आईसक्रीम बेचने का कहकर सिवास में राहत केम्प के बाहर खड़ा हो जाता हूं तथा जिससे वहीं मौजूद श्री महेश को मेरे उपर कोई शक वगेरह नहीं होगा तथा वह मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि सहित सिवास राहत केम्प भेजने का निर्णय लिया गया। परिवादी नें बताया कि मैं मेरे गांव घेनड़ी जाकर आईसक्रीम लेकर मोटरसाईकिल से आता हूं। साथ ही उसने पिलोवनी सिवास रोड़ पर स्थित कब्रिस्तान के पास मिलने के लिये कहा। जिस पर परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पिलोवनी सिवास रोड़ स्थित कब्रिस्थान के लिये रवाना होकर समय 03:55 पी.एम. पर पिलोवनी सिवास रोड़ पर स्थित कब्रिस्थान के पास पहुंचे तथा परिवादी का इन्तजार करने लगे। समय 04:35 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनदास जरिये मोटरसाईकिल मय आईसक्रीम डिब्बे के मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। परिवादी नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैने मेरे स्तर से पता किया तो श्री महेश का सिवास केम्प में व श्री बनवारीलाल पटवारी का पिलोवनी केम्प में मौजूद होना ज्ञात हुआ। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप बॉक्स में एक लिफाफे में रखी रिश्वत राशि को गवाह श्री घनश्याम सोलंकी से निकलवाया जाकर उक्त राशि का फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया।

तत्पश्चात् गवाह श्री घनश्याम सोलंकी से ही उक्त फिनॉफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री किशनदानस के पहने हुए पेन्ट की आगे की बांयी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाह श्री घनश्याम सोलंकी से उक्त लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई थी, जो जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री घनश्याम सोलंकी के दोनो हाथ साफ पानी एवं साबुन से दो–तीन बार अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री किशनदास को आवश्यक हिदायत दी जाकर ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर सिवास की तरफ रवाना किया। परिवादी के पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान के भी सिवास के लिये रवाना हुऐ। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त हालात जरिये मोबाईल अति. पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये तथा अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को पिलोवनी के आस–पास ही खड़े रहने का निवेदन किया। समय 04:45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान के सिवास राहत केम्प के नजदीक पहुंचे, जहां परिवादी श्री किशनदास मय मोटरसाईकिल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने खड़ा दिखायी दिया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी पर नजर रखते हुए गोपनियता बरतते हुए अलग–अलग स्थानो पर खड़े रहे। परिवादी सिवास राहत के अन्दर गया। कुछ समय पश्चात् परिवादी सिवास राहत केम्प से बाहर आकर मन् निरीक्षक पुलिस को एकान्त में डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी नें बताया कि श्री महेश उक्त केम्प में नहीं है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त रिकार्डर में सार्थक वार्ता नही होने से रिकार्ड वार्ता की ट्रान्सक्रीप्ट नहीं बनाने का निर्णय लिया तथा यहां से अलग चलकर अग्रिम कार्यवाही बाबत् चर्चा करने का निर्णय लिया जाकर खिंवाड़ा की तरफ रवाना होकर खिंवाड़ा रोड़ की तरफ एकान्त पर पहुंचे। जिस पर परिवादी भी हमारे पास उपस्थित आया तथा परिवादी नें बताया कि आते वक्त सिवास स्कूल के पास ही स्थित एक दूकान पर श्री महेश नें मुझे देख लिया और आने के लिये कहा। तब मैने कहा कि कुछ समय में गाडी में पेट्रोल भरवाकर आपके पास आ रहा

हूं, आज कही जाना मत। मैं उक्त बात महेश को कहकर सीधा ही आपके पास आया हूं। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द किया एवं आवश्यक हिदायत देकर उसे श्री महेश से मिलने हेतु सिवास के लिये रवाना किया तथा परिवादी के पीछे–पीछे दूरी बनाये रखते हुए मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान के रवाना होकर वक्त 05:07 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवास के परिसर के बाहर चौराहा पर पहुचे, जहां राहत केम्प में आये लोगो की गाड़िया व लोग खड़े थे। हम ब्यूरो जाब्ता भी अपनी गोपनियता बररते हुए आस–पास खडे हो गये। सिंवास स्कूल के पास ही खिवाडा रोड़ पर स्थित एक दूकान के बाहर परिवादी श्री किशनदास एक व्यक्ति से बातचीत करता दिखायी दिया। कुछ देर बाद ही परिवादी उस व्यक्ति के साथ राहत केम्प में गया तथा वहां मौजूद कार्मिको से बातचीत करने लगे। जिस पर हम ब्यूरो दल द्वारा परिवादी को अपनी नजर में रखा तथा कुछ देर पश्चात् परिवादी व उक्त व्यक्ति राहत केम्प से बाहर आये एवं उसी दूकान पर चले गये व बातचीत कर कुछ देर पश्चात् परिवादी अपनी मोटरसाईकिल लेकर सिवास चौराहा पर एकान्त में आया तथा मन् निरीक्षक को ईशारे से बुलाया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी के पास पहुंचा एवं उससे डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि श्री महेश मुझे एक दुकान पर मिला, जहां बातचित करते करते वह मुझे राहत केम्प परिसर में तहसीलदार रानी व उनके पास बैठे आर.आई. के पास ले गया, वहां अन्य लोग भी खडे थे। जहां श्री महेश ने आर.आई. तहसीलदार से मेरे म्यूटेशन के बारे में बातचित की, तो उन्होने कहा तुम्हे इस बारे में बनवारी पटवारी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा म्यूटेशन भर देंगे। वहां से रवाना होकर महेश के साथ केम्प से बाहर आया। मैने महेश को पैसो के लिऐ बोला तो उसने रहने दो कह कर मना कर दिया। मैं उसके पास से रवाना हो गया। श्री महेश व श्री बनवारीलाल पटवारी आज मेरे से अब रिश्वती राशि नहीं लेंगे। चूंकि परिवादी के बतायेनुसार आज ट्रेप कार्यवाही होने के कोई संभावना नहीं है। श्री महेश ने काम होने पर पैसे लेना बताया। परिवादी ने कहा कि मैं यदि बार–बार मेरा गांव छोड़कर पाली या अन्य स्थान पर आउंगा तो श्री महेश व बवारीलाल पटवारी को शक हो जायेगा। वे लोग आज या घेनड़ी राहत केम्प में मेरा म्यूटेशन दर्ज कर मेरे से रिश्वत राशि की मांग करेंगे। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा गवाह श्री घनश्याम सोलंकी से परिवादी के पहने हुए पेन्ट के आगे की बांयी जेब में रखी रिश्वत राशि 10,000 रूपये निकलवाये गये तथा फर्द पेशकशी से उक्त राशि का मिलान करवाया जाकर उक्त रिश्वत राशि एक सफैद कागज के लिफाफे में रखवाये जाकर गवाह के हाथ से ही ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को प्रकरण में गोपनियता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। उपरोक्त समस्त हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजीटल रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो रिकार्डिग वार्ता में कोई सार्थक तथ्य नहीं पाये जाने से इस वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्टस नहीं बनाऐ जाने का निर्णय लिया गया।

उसी रोज वक्त 05:35 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को ब्यूरो चौकी पाली पहुंचने हेतु निवेदन किया तथा श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक को भी ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के मय प्रकरण की पत्रावली, लेपटॉप प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, रिश्वत राशि रखा ट्रेपबॉक्स तथा आवश्यक उपकरणो सहित रवाना हेाकर समय 05:55 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचा। इसी दौरान श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक एवं श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक भी जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहनो के ब्यूरो कार्यालय पाली पर उपस्थित आये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि रखा ट्रेप बॉक्स श्री चम्पालाल मालखाना प्रभारी से मालखाना में सुरक्षित रखवाया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो

गवाहान को आईन्दा तलब करने पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने व कार्यवाही की गोपनियता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया।

दिनांक 15.05.2023 को वक्त 12:15 पी.एम. पर श्री किशनदास कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि श्री बनवारीलाल पटवारी कुछ दिन से ग्राम घेनडी नहीं आ रहे है, उनका अवकाश पर जाना मालूम हुआ है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को हिदायत की पटवारी के ग्राम घेनडी में उपस्थित आने पर सम्पर्क कर शीघ्र मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क करे। इत्यादी हिदायत देकर परिवादी को रवाना किया गया। उपरोक्त हालात श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये। दिनांक 24.05.2023 को समय 11.10 ए0एम0 पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने परिवादी श्री किशनलाल से जरिये मोबाईल वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि श्री बनवारीलाल पटवारी दो दिन से ग्राम घेनडी में कुछ समय के लिऐ आये थे। मैं उनसे मेरा म्यूटेशन दर्ज करने के लिऐ मिला तो उन्होने मेरे से ज्यादा बातचित नहीं की तथा आईन्दा मिलने के लिऐ कहा। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को हिदायत दी कि गोपनीयता बरतते हुऐ आईन्दा पटवारी से सम्पर्क होने पर सूचित करे। दिनांक 02.06.2023 को समय 10.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल फोन परिवादी श्री किशनदास से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे मे सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मैं श्री बनवारीलाल पटवारी से रिश्वत राशि के सम्बंध में मिलने के लिऐ लगातार प्रयास कर रहा हूँ। उनसे सम्पर्क होने पर आपसे सम्पर्क कर दूंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। दिनांक 05.06.2023 को समय 12.30 पी. एम. पर परिवादी श्री किशनदास मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष भ्रनिब्यूरो कार्यालय पाली–ा में उपस्थित आया एवं बताया कि श्री बनवारीलाल पटवारी मुझे ग्राम घेनडी में एक दो बार मिला था, मैने उससे बातचित करनी चाही तो वह टालमटोल कर रवाना हो गया। उस समय गांव के अन्य लोग भी पास में खड़े थे। श्री बनवारीलाल पटवारी ने मुझे कहां अलग से एकान्त में बात करेंगे। मुझे यकीन है कि श्री बनवारीलाल पटवारी एकान्त में मौका मिलने पर मेरे से रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्ता कर लेंगे। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 12.06.2023 को समय 04.42 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल परिवादी श्री किशनदास से अग्रिम कार्यवाही के बारे में वार्ता की तो उसने बताया कि मुझे महेश ने दो तीन–दिन पूर्व बातचित के दौरान बताया कि तुमने बनवारीलाल पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी में की है, इसकी हमे जानकारी मिल गई थी। इसलिऐ अब यह लोग मेरे से रिश्वत नहीं लेंगे। मैने पूर्व में श्री बनवारीलाल पटवारी के खिलाफ 181 मुख्यमन्त्री हेल्प लाईन पर शिकायत भी की थी। उसमें कुछ दिन पूर्व मुख्यमन्त्री कार्यालय से मेरी टिप्पणी मांगी तो मैने कहा मैं पटवारी की कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं हूँ। श्री बनवारीलाल मुझे दो दिन पूर्व मिला तो उसने कहां कि तुम्हारे द्वारा 181 पर की गई शिकायत पर मेरे खिलाफ जांच शुरू हो गई हैं। जिस कारण पटवारी मेरे से नाराज हो गये है अब वह मेरे से अब कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिऐ मैं 1–2 दिन में आगे की कार्यवाही के लिऐ आपके ब्यूरो कार्यालय पाली आउंगा। उपरोक्त हालात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये।

दिनांक 15.06.2023 को समय 02.40 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनदास ब्यूरो कार्यालय में मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आया एंव मुझे बताया कि श्री महेश कुछ दिन पूर्व बातचित के दौरान मुझे बताया था कि तुमने बनवारीलाल पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी में की है, इसकी हमे जानकारी मिल गई थी। इसलिऐ हमने तेरे से रूपये नहीं लिऐ, हमे यह भी पता है कि तुम हमे पैसे लेते हुऐ पकडवाना चाहता था। इसलिऐ एसीबी पाली की टीम भी यहां घेनडी में आई थी, जिसकी सूचना हमे मिल गई। परिवादी ने बताया कि इससे यह जाहिर होता है कि श्री बनवारीलाल पटवारी एवं दलाल श्री

महेश मेरे से अब कोई राशि प्राप्त नहीं करेंगे। उक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये। लिहाजा अग्रिम कार्यवाही होना सम्भव नहीं होने से रिश्वती राशि मांग सत्यापन व रिश्वती राशि लेन–देन के प्रयासो के वक्त हुई अन्य वार्ताओ की फर्द ट्रांसकिप्टस तैयार किया जाना आवश्यक होने से कार्यवाही के दौरान साथ रहे स्वतन्त्र गवाहन को तलब किया गया। वक्त 03.00 पी.एम. तलब शुदा दोनों गवाहान सर्व श्री शिवराज कनिष्ठ अभियन्ता व श्री घनश्याम सोलंकी कनिष्ट सहायक नगर परिषद पाली ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये।

वक्त 03.10 पी.एम. पर पाबन्द शुदा गवाह श्री शिवराज कनिष्ठ अभियन्ता व श्री घनश्याम सोलंकी कनिष्ट सहायक नगर परिषद पाली, ब्यूरो कार्यालय. उपस्थित है। उक्त दोनो गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 08.05.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड है। श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक की सहायता से उक्त वार्ता के डिवाईस को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को परिवादी एवं गवाहान के रूबरू शब्द बशब्द सुन सुन कर फर्द फर्द ट्रांसकिप्टस रिश्वती राशि मांग सत्यापन तैयार कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। रिकार्ड वार्ता को दो पेन ड्राईव में डाउनलॉड करवाया गया। जिसमें एक को मूल मानने हुऐ कपडे की थेली में डालकर सीलमोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव खुली हालात में रखा गया। फर्द ट्रांसकिप्टस वक्त 04.40 पी.एम. तक सम्पादित की गई। समय 04.50 पी.एम. पर दिनांक 09. 05.2023 को रिश्वती राशि लेन–देन के प्रयास के दौरान हुई वार्ता जो कार्यालय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड है। श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक की सहायता से उक्त वार्ता के डिवाईस को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को परिवादी एवं गवाहान के रूबरू शब्द बशब्द सुन सुन कर फर्द ट्रांसकिप्टस रिश्वती राशि लेन–देन प्रयास के समय तैयार कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। रिकार्ड वार्ता को दो पेन ड्राईव में डाउनलॉड करवाया गया। जिसमें एक को मूल मानने हुऐ कपडे की थेली में डालकर सीलमोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव खुली हालात में रखा गया। फर्द ट्रांसकिप्टस वक्त 06.30 पी.एम. तक सम्पादित की गई। समय 06.40 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनदास ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि मैने एक रिपोर्ट श्री बनवारीलाल पटवारी के खिलाफ दी। उसने मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत राशि मांग तथा रिश्वत उसका काम करने वाले श्री महेश को देने का कहां। बाद मै मेने रिश्वत दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये आपको पेश की। बाद में श्री बनवारीलाल पटवारी व श्री महेश को भनक लग जाने के कारण मेरे इन्होने रिश्वत राशि नहीं ली। अब मेरे से यह लोग रिश्वत राशि नहीं लेंगे। मेरी राशि 10,000 रूपये मुझे लोटाये जावे। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं बताऐ तथ्यों पर अब आगे रिश्वती राशि लेन देन की कार्यवाही होना सम्भव नहीं होने से परिवादी को रिश्वती राशि 10,000 रूपये पुनः लोटाये जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। परिवादी व गवाहान को रूखसत किया गया। समय 06.45 पी.एम पर प्रकरण से संबंधित मालखाना आईटम्स शिल्डशुदा व खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये।

अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया कि परिवादी श्री किशनदास द्वारा उसके बड़े पिताजी श्री रणछोडदास पुत्र श्री बंसीदास निवासी घेनड़ी जिला पाली से गांव घेनड़ी के खसरा नं. 317, 318, 319 व 320 की जमीन बेचने इत्यादि का अधिकार पत्र दिनांक 23.11.2022 को प्राप्त कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराया। इस अधिकार पत्र के आधार पर श्री रणछोड़दास के जीवनकाल में ही परिवादी नें उक्त खसरान में उनके हिस्से की 1/6 हिस्सा की भूमि व इन्ही खसरान की अन्य काश्तकारो से प्राप्त अधिकार पत्र के आधार पर परिवादी नें दिनांक 28.12.2022 को 1.00 लाख रूपये में श्री राजूसिंह पुत्र श्री कुंदन सिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा जेतसिंह तहसील रानी जिला पाली को बेचान कर इसकी रजिस्ट्री

दिनांक 28.12.2022 को उप पंजीयक खिंवाड़ा जिला पाली में कराई। बेचान के समय श्री राजूसिंह नें परिवादी से शर्त तय की कि इस भूमि का नामान्तरकरण (म्यूटेशन) तुम अपने खर्चे पर करवाकर दोगे तथा श्री राजूसिंह नें उक्त भूमि की रजिस्ट्री की फोटोप्रति म्यूटेशन दर्ज कराने हेतु परिवादी को दे दी तथा परिवादी नें म्यूटेशन दर्ज करने हेतु इस रजिस्ट्री की फोटोप्रति घेनड़ी के तत्कालीन पटवारी श्री रमेश जी को दे दी, परन्तु उनका स्थानान्तरण हो गया तथा उनके स्थान पर श्री बनवारी लाल पटवारी जी आ गये। इस पर परिवादी म्यूटेशन दर्ज करने के लिये श्री बनवारीलाल पटवारी से मिला तो उन्होने कहा कि तुम्हारे द्वारा बेचान की गई खसरा नं. 317, 318, 319 व 320 की रजिस्ट्री मुझे श्री रमेश पटवारी नें दे दी है। मैं कुछ दिन में म्यूटेशन भर दूंगा। इसी दौरान परिवादी के बड़े पिता श्री रणछोड़ दास पुत्र श्री बंशीदास का दिनांक 20.03.2023 को निधन हो गया। इनके मृत्यु के बाद श्री बनवारीलाल पटवारी नें परिवादी को बताया कि श्री रणछोड़ दास की पत्नि व पुत्री नें भी खसरा नं. 317, 318, 319 व 320 का म्यूटेशन दर्ज करने के लिये आवेदन किया, तो परिवादी नें पटवारी बनवारीलाल को कहा इस जमीन का अधिकार पत्र तो श्री रणछोड़ दास नें अपने जीवनकाल में ही उसको दे दिया था। परिवादी नें खसरा नं. 317, 318, 319 व 320 की जमाबंदी ऑनलाईन निकलवाकर देखा तो श्री रणछोड़ दास के स्थान पर पत्नि श्रीमति गंगा व पुत्री दुर्गा के नाम नामान्तरकरण प्रकियाधीन होना बताया। परिवादी नें पटवारी बनवारीलाल को कहा रणछोड़दास के द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के आधार पर परिवादी नें जमीन श्री राजूसिंह को बेची है तथा उन्ही के नाम म्यूटेशन दर्ज करने हेतु निवेदन किया। जिस पर पटवारी श्री बनवारीलाल द्वारा परिवादी के पक्ष मे नामान्तरकरण दर्ज करवाने की ऐवज में रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग की गई, जिसकी रिपोर्ट परिवादी श्री किशनदास द्वारा ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय पर दिनांक 08.05.2023 को की गई।

परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में रिश्वत राशि मांग का सत्यापन दिनांक 08.05.23 को करवाया गया तो दौराने सत्यापन वार्ताओ में पटवारी श्री बनवारीलाल द्वारा परिवादी के कार्य के बदले रिश्वत राशि की मांग की गई तथा श्री बनवारीलाल द्वारा रिश्वत राशि दलाल श्री महेश को देने के लिये कहा।

तत्पश्चात् मांग सत्यापन के क्रम में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर रिश्वत राशि आदान–प्रदान हेतु आरोपी पटवारी के कहेनुसार दलाल श्री महेश के पास परिवादी श्री किशनदास को भेजा गया व उसकी मोबाईल फोन पर वार्ता करवायी तो दलाल श्री महेश को एसीबी की कार्यवाही के बारे में भनक लग जाने या श्री महेश पर शक हो जाने इत्यादि के कारण श्री महेश द्वारा रिश्वत राशि लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा रिश्वत राशि के संबंध में परिवादी से किसी प्रकार की वार्ता भी नहीं की जिससे कार्यवाही में दलाल श्री महेश की संलिप्तता के साक्ष्य नही पाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को श्री बनवारीलाल पटवारी के पास भेजकर रिश्वत राशि के लेन–देन का प्रयास किया, परन्तु श्री बनवारीलाल पटवारी को भी परिवादी के उपर शक हो जाने, पूर्व में परिवादी द्वारा अपना नामान्तरकरण नहीं खोलने व रिश्वत मांगने की शिकायत बनवारीलाल पटवारी की राजस्थान सरकार के शिकायत पोर्टल 181 पर करने के कारण पटवारी श्री बनवारीलाल नें भी रिश्वत राशि नहीं ली।

इस प्रकार पटवारी श्री बनवारीलाल व दलाल श्री महेश को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग जाने, परिवादी के उपर शक हो जाने से रिश्वत राशि लेन–देन की कार्यवाही नहीं हो सकी, लेकिन परिवादी के कार्य के लिये आरोपी पटवारी श्री बनवारीलाल द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट पाया गया, जिससे आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री बनवारी लाल मीना पुत्र श्री ठण्डीराम मीना जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सिलपुरा पोस्ट गुडला तहसील करौली जिला करौली तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल घेनड़ी तहसील रानी जिला पाली, हाल पटवारी (भू.अ.) पिलोवनी तहसील रानी जिला पाली के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशाधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर कमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(रूपसिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रूपसिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बनवारी लाल, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल घेनड़ी, तहसील रानी, जिला पाली हाल पटवारी (भू.अ.), तहसील रानी, जिला पाली के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 219/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 2566-69 दिनांक 11.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. कलक्टर, जिला पाली।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय।

11.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।